




फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

मरतराम बनाम मांगीलाल (वर्ग 2)

किस्म मुकदमा ... प्री-पत्रा 111-128 नं० 88 तम 2021

नांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्वर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
7-21	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीय को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 27-8-21 को पेश हो।</p> <p></p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जजलकर माण्डल</p>	
27-8-21	<p>उभय पक्ष द्वारा कल पीकारसीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हो अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 27-8-21 को पेश हो।</p> <p>रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
1 1/2	<p>पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 के मय ग्राम बावड़ी में पेश हुई, विपक्षीय के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए एवं पक्ष पक्ष द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिले शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृष्ठ से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैलान शुभर होकर नम्वर से कम है।</p> <p></p> <p>डॉ. पुष्प सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मुकदमा संख्या :- 88/21 प्र/पत्र

1- श्री अरतराम सो. श्री गौरधन राम नमक निवासी - क्षिलवागी भैरवपुरा
मानैकसर सुरतगढ़ गंगानगर - प्रार्थी

बनाम
1- श्री मांगीलाल सो. श्री छोणा बाट निवासी - थावोला तहसील मांडल
2- राजधान राज्य बाटिए तहसीलदार सो. मांडल तहसील -- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 1.11.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम थावोला पटवार हल्का थावोला तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 1303/868 कुल किता 01 रकबा 0-5059 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22-7-21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थर गद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम थावोला पटवार हल्का थावोला तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 1303/868 कुल किता 01 रकबा 0-5059 हेक्टेयर भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जावे हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक भैजा को 500/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021